दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज निवास, दिल्ली में 02 फरवरी, 2018 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थें :

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

1 श्री के.विनायक राव
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2 श्री जयेश कुमार
अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

3 श्री मनोज कुमार
अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार

4 श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

5 श्री सोमनाथ भारती, विधायक

6 श्री एस.के. बग्गा, विधायक

7 श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

8 श्रीमती वीना विरमानी
निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी.सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशिष्ट आमंत्रितगण

1 श्री एस.एन.सहाय
प्रधान सचिव (वित्त) रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

2 श्रीमती रेणु शर्मा
प्रधान सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

3 डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार
प्रधान सचिव (एल.एंड बी.), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

4 डॉ. रणबीर सिंह
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

5 श्री मधुप व्यास
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

6 श्री राजीव वर्मा
प्रधान आयुक्त (एल.डी., एल.एम. एंड एल.पी.), दि.वि.प्रा.

7 श्री जे.पी. अग्रवाल
प्रधान आयुक्त (आवास, राष्ट्रमंडल खेल एवं पी.एम.ए.वाई.), दि.वि.प्रा.

8 श्री श्रीपाल
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भू-दृश्य), दि.वि.प्रा.

9 डॉ दिलराज कौर
अपर आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

10 श्री एस.सुरेन्द्र
अपर मुख्य योजनाकार,
टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनएजेशन

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार
उपराज्यपाल दिल्ली के प्रधान सचिव

2. श्रीमति स्वाति शर्मा
उपराज्यपाल दिल्ली की विशेष सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगण और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया ।

मद संख्या 01/2018

दि.मु.यो. 2021 में दुकान एवं आवासीय प्लाटों के विकास नियंत्रण मानदण्डों में प्रस्तावित संशोधन।
एफ. 3(10)2014/एम.पी.

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित कियागया। आपत्तियाँ/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 3 दिनों की अवधि हेतु सार्वजनिक सूचना तत्काल जारी की जाएगी। विचार-विमर्श के दौरान प्राधिकरण सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे। यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इन सुझावों पर अलग कार्रवाई की जाए।

मद संख्या 02/2018
असंगत क्षेत्रों में विद्यमान गोदाम समूहों के पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित मानदण्ड- दि.मु.यो.-2021 में संशोधन के रूप में।
एफ. 3(84)2010/एम.पी.

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 3 दिनों की अवधि हेतु सार्वजनिक सूचना तत्काल जारी की जाएगी।

विचार-विमर्श के दौरान प्राधिकरण सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे। यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इन सुझावों पर अलग कार्रवाई की जाए।

मद संख्या 03/2018

सार्वजनिक आदेश के रखरखाव हेतु या सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना वाली किसी आपात घटना के मामले में लिखित में सुझाव और आपत्तियां यदि कोई हो आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना की अवधि को 45 दिन से कम करके 30 दिन करने के लिए दिल्ली विकास (मुख्य योजना और जोनल विकास योजना) नियम, 1959 में संशोधन करने वाली दिनांक 31.01.2018 की राजपत्र अधिसूचना।

एजेंडा मद में निहित जानकारी पर टिप्पणी की गई थी।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में उपस्थित हुए सहभागी सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।